




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 484 ]  
No. 484]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 1998/अग्रहायण 23, 1920  
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 1998/AGRAHAYANA 23, 1920

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1998

सा.का. नि. 738(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 679 (अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 1995 और सा. का. नि. सं. 204 (अ), दिनांक 8 मई, 1996 को अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- अध्यक्ष : 1. माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- सदस्य : 2. माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. जैन, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
3. माननीय श्री न्यायमूर्ति विजेन्द्र जैन, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

[फा. सं. 674/1/98-सीमा शुल्क-8]

एम. एस. नेगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 1998

G.S.R. 738(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. 679 (E), dated the 5th October, 1995 and G.S.R. No. 204 (E), dated 8th May, 1996, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :

Chairman:

1. Hon'ble Mr. Justice Arun Kumar, Judge of Delhi High Court.

Members:

2. Hon'ble Mr. Justice D.K. Jain, Judge of Delhi High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice Vijender Jain, Judge of Delhi High Court.

[F. No. 674/1/98-Cus. VIII]

M. S. NEGI, Under Secy.

